न्यायालय सहायक कलक्टर जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 11/2018 (451/2013)
दायर दिनांक :– 07.10.2013

अनवान

1. भूरानाथ पिता गोकल नाथ जाति नाथ उम्र 55 वर्ष निवासी शक्करगढ़
2. प्रभूनाथ पिता माधु नाथ जाति नाथ उम्र 48 वर्ष निवासी शक्करगढ
3. लादूनाथ पिता माधुनाथ जाति नाथ उम्र 45 वर्ष निवासी शक्करगढ
4. ऊंकारी पुत्री श्रीनाथ जाति नाथ उम्र 55 वर्ष निवासी शक्करगढ तहसील जहाजपुर

वादी.....

बनाम

1. भूरानाथ पिता गोरधन नाथ जाति नाथ निवासी शक्करगढ तहसील जहाजपुर
2. प्रभूनाथ पिता गोरधन नाथ जाति नाथ निवासी शक्करगढ तहसील जहाजपुर
3. ईश्वर नाथ पिता गोरधन नाथ जाति नाथ निवासी शक्करगढ तहसील जहाजपुर
4. मोहननाथ उर्फ फोरू पिता गोरधन नाथ निवासी शक्करगढ तहसील जहाजपुर
5. गोपालनाथ पिता गोरधन नाथ जाति नाथ निवासी शक्करगढ तहसील जहाजपुर
6. श्रवणनाथ पिता गोरधन नाथ जाति नाथ निवासी शक्करगढ तहसील जहाजपुर
7. नंदननाथ पिता गोरधन नाथ जाति नाथ निवासी शक्करगढ तहसील जहाजपुर
8. बसन्ती देवी पत्नी गोरधन नाथ निवासी शक्करगढ तहसील जहाजपुर

9– 1. (1) हीरानाथ पिता मोहननाथ माता शांति देवी जाति नाथ निवासी धामनिया तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा

9– 1. (2) पिंकी पुत्री मोहन नाथ माता शांति देवी जाति नाथ पत्नि रामेश्वर नाथ निवासी टहला तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा राज०

9– 1. (3) मोहननाथ पिता प्यारनाथ जाति नाथ निवासी धमनिया तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा राजस्थान

9– 2 शिमला पुत्री शंकरनाथ जाति नाथ निवासी शक्कगरढ हाल पत्नि रमेशनाथ निवासी जामोली तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

9–3. सुशिला पुत्री शंकरनाथ जाति नाथ निवासी शक्कगरढ हाल पनि लादूनाथ निकासी धामनिया तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा

9–4. गुलाब पुत्री शंकर नाथ जाति नाथ निवासी शक्करगढ हाल पत्नि भैरूनाथ निवासी सराणा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा

10. सुवानाथ पिता देवीनाथ जाति नाथ निवासी शक्करगढ तहसील जहाजपुर
11. प्रेम देवी पत्नि चांदमल जाति खटीक निवासी शक्करगढ तहसील जहाजपुर
12. तहसीलदार, जहाजपुर जिला भीलवाडा
13. उप पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण.....

सहायक कलक्टर
जहाजपुर

Scanned with CamScanner

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री छीतर लाल रेगर, एडवोकेट प्रार्थीगण
2. श्री रितेश कांटिया, एडवोकेट अप्रार्थीगण

:: आदेश :: दिनांक 31.05.2023

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने पेश कर निवेदन किया की ग्राम शक्करगढ पटवार हल्का शक्करगढ तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा राज मे कृषि आराजी खसरा संख्या 60 रकबा 13 वीघा स्थित है जो चालू जमावन्दी सम्वत् 2006 से 2069 में अप्रार्थीगण संख्या 1 से 10 के खाते में दर्ज है। तथा इसी ग्राम में आराजी खसरा संख्या 78 रकबा 3 बीघा 2 विस्वा स्थित है जो चालू जमावन्दी सम्वत् 2066 से 2069 मे अप्रार्थीगण संख्या 10 के खाते मे दर्ज है। परन्तु यह कृषि आराजीयात पूर्व में प्रार्थीगणों के दादा श्रीनाथ पिता काननाथ व गियालनाथ पिता नन्दा नाथ के खातेदारी की होने से पहले इनका व इनकी मृत्यु पश्चात् गोकलनाथ, माधुनाथ व इनकी मृत्यु पश्चात विगत 40 वर्षों से प्रार्थीगण का कब्जा कारत निर्वाध रूप से चला आ रहा है।
का कब्जा कारत निर्बोध रूप से चला आ रहा है। प्रार्थीगण के परिवार का सजरा निम्न है –

नन्दा नाथ (फोत)

मियालनाथ (फोत) — कान नाथ (फोत)

श्रीनाथ (फोत)	गोकलनाथ (फोत)	माधुनाथ (फोत)	
ऊंकारी पुत्री	भूरानाथ पुत्र	प्रभुनाथ पुत्र	लादूनाथ पुत्र

मियालनाथ का पुत्र श्रीनाथ, काननाथ के कोई औलाद नही होने से काननाथ के गोद चला गया था इसलिये श्रीनाथ को काननाथ का पुत्र की भांति ही मानते थें। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित कृषि जमीन के नए व पुराने नम्बर निम्न है –

नये नम्बर	पुराने नम्बर
60	595 मी., 596
78	596 मी.

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि आराजीयात को वक्त सेटलमेंट, सेटलमेंट अधिकारियो ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से मन मकसूद तरीके से देबीनाथ पिता छोटू नाथ से मिली भगत करके देबीनाथ के नाम दर्ज कर दी तथा देबीनाथ की मृत्यु के पश्चात विरासत से देबीनाथ के पुत्र गोरधन नाथ, शंकरनाथ, सुवा नाथ, के नाम दर्ज कर दी जो प्रारम्भ से ही शून्य एंव शून्य प्रभावी है इसलिये अप्रार्थीगण संख्या 1 से 10 के नाम गलत रूप से अपने नाम दर्ज की गयी कृषि जमीन में इनका नाम विलोपित कर माफिक सजरा प्रार्थीगण को

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

खातेदारी कास्तकार घोषित किया जाना आवश्यक एंव न्याय संगत है। तथा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित कृषि आराजीयात के कुछ हिस्से पर सथूर से गुलाबपुरा नेशनल हाईवे रोड (148 डी) निकल रहा है तथा उक्त कृषि आराजीयात मे जितना हिस्सा नेशनल हाईवे रोड में अवाप्त होता है उसका मुआवजा की राशि को वाद पत्र के निरतारण तक अप्रार्थीगण संख्या 1 से 10 को भुगतान न करे, करावे व प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में बाधा न डाले न डलवावे कि अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबंद्ध किया जाना आवश्यक एंव न्याय संगत है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित कृषि आराजी नम्बर 60 (साठ) मे अप्रार्थी संख्या 9 ने अपने नाम गलत ढंग से आयी कृषि जमीन का अपना हिस्सा अप्रार्थी संख्या 11 को अवैध रूप से बेचान कर दिया जो शून्य एंव शून्य प्रभावी है। तथा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि जमीन मे गलत ढंग से व अवैध रूप से अप्रार्थीगणो के पूर्वजों ने अपने नाम करायी जमीन व अप्रार्थी संख्या 9 द्वारा अप्रार्थी संख्या 11 को अवैध रूप से करवायी गयी जमीन को अवैध रूप से बेचने की जानकारी प्रथम वार अप्रार्थी संख्या 11 के पति ने अवैध रूप से दिनांक 1.9.13 को आराजी खसरा संख्या 60 मे पत्थर डालने लगा तथा अप्रार्थी संख्या 11 के पति ने कहा कि इस जमीन को मैने क्रय कर ली है जिस पर राजस्व रेकार्ड की नकले निकलवाने से जानकारी हुई इसलिये अप्रार्थी संख्या 11 द्वारा अवैध रूप से अप्रार्थी संख्या 1 से 10 के नाम आयी कृषि जमीन पर एक शून्य दस्तावेज के आधार पर खाता रद्दोवदल करवा लेते है तो अप्रार्थीगण संख्या 1 से 11 का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित कर इसकी जगह प्रार्थीगणः वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड मे खातेदारी मे घोषित किया जाना आवश्यक एंव न्याय संगत है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित कृषि जमीन के कुछ हिस्से पर संतूर से गुलाबपुरा हाईवे रोड (148 डी.) निकलेगा इससे आराजी नम्बर 60 व 78 का कुछ हिस्सा अवाप्त होगा, अवाप्त हिस्से का मुआवजा की राशि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 11 को ता. फैसला मूल वाद तक न दी जावे व नही राजस्व रेकार्ड मे हेरा फेरी करे करावे व नही प्रार्थीगण के कब्जा कास्त मे बाधा डलवावे कि अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद्ध किया जाना आवश्यक एंव न्याय संगत है। प्रार्थना पत्र कि चरण संख्या 2 मे वर्णित कृषि जमीन प्रार्थीगणो की पैतृक होकर उनके कब्जे कास्त खातेदारी की है जिसे अप्रार्थीगण के पूर्वजो ने गलत रूप से बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से अपनें नाम गलत रूप से करवाई है तथा गलत रूप से अपने नाम आयी कृषि जमीन को अप्रार्थी संख्या 9 द्वारा अपना हिस्सा बेचान कर दिया है तथा शेष कृषि जमीन को बेचने पर तुल्ले हुए है जिन्हें अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद्ध किया जाना आवश्यक एंव न्याय संगत है। पूर्व राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थीगण के पूर्वज खातेदार कास्तकार है जिसकी जमाबन्दी सम्वत 2018 से 2019 पेश है अतः प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण होकर सुविधा का सतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है तथा अप्रार्थीगण अपने नाम गलत रूप से दर्ज हुई कृषि जमीन का बेचान कर देते है तो प्रार्थीगण को अनेको विवादो मे उलझना पडेगा नाना प्रकार के लेटिकेशन होगें जिससे अप्रार्थीगण की तुलना मे प्रार्थीगण को काफी अपूर्णय क्षति होगी जिसकी तुलना मुद्रा में नही आंकी जा सकेगी। अतः मूल वाद पत्र का निरतारण न हो तव तक राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाएं रखने हेतु एंव पंजीयन न करे न करावे हेतु अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद्ध करना फरमावें व प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित कृषि आराजी मे नेशनल हाईवे (148डी.) सड़क का निर्माण हेतु कृषि जमीन अवाप्त होनी है उसका मुआवजा राशि वाद पत्र के निरतारण तक उन्हे नही दी जावे व प्रार्थीगण के कब्जा काश्त मे बाधा न डाले न अपने नोकर एजेन्ट रिश्तेदारो से डलवावे कि अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबंद्ध किये जाने का आदेश प्रदान कराना फरमावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं. 1 से 7, 9, 10 की और से श्री रितेश कांटिया एडवोकेट द्वारा अधिकार पत्र पेश कर जवाब पेश किया गया। जिसकी नकल वकील प्रार्थीगण को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सं. 8–1 से 8–4 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 1 से 7, 9 की और से जवाब पेश कर निवेदन किया

सहायक कलक्टर
जहाज़ ...

कि प्रार्थनापत्र पत्र की चरण संख्या चार में वर्णित आराजी नं 60, 78 के पुराने नंबर राजस्व रेकार्ड अनुसार दर्ज है। लेकिन प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय से तथ्य छिपा कर वादपत्र व प्रार्थनापत्र पेश किया है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वज एक ही परिवार से हैं प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वजों के समय ही भूमि का बटवारा हो चुका था तथा बटवारे अनुसार काबिज है। आराजी नं. 63, 69, 90 मेंवाड सेटनमेन्ट के समय ही जगन्नाथ पिता हरनाथ के नाम पर दर्ज थी जो अप्रार्थी सं. एक से आठ के परदादा व अप्रार्थी सं. 9–10 के दादा थे लेकिन वर्तमान सेटलमेन्ट के पूर्व श्रीनाथ माधूनाथ के नाम दर्ज की गयी। इसी वजह से अप्रार्थीगण की दूसरी भूमि भी प्रार्थीगण के नाम दर्ज हो गयी। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के आपसी सामन्जस्य से भूमि एक दूसरे के दर्ज की गयी । वर्तमान में प्रार्थीगण को दावा व प्रार्थनापत्र पेश करने का हक नही है क्योंकि पूर्वजों के समय से ही भूमि अलग अलग आपसी सहमति से दर्ज की गयी थी। प्रार्थीगण ने षडयन्त्र पूर्वक वादपत्र व प्रार्थनापत्र पेश किया है जिससे वह नेशनल हाईवे मे अप्रार्थीगण की भूमि आ जाने से उसका मुआवजा उठा सके। साथ ही भूमि की कीमतें बढने से प्रार्थीगण के मन में लालच आ गया है । प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र में वर्णित भूमि पर कभी कब्जा नही रहा है। न ही वर्तमान में इस भूमि पर कब्जा है। प्रार्थीगण ने केवल बनावटी व झूठे तथ्यों पर आधारित पेश किया है तथा अप्रार्थीगण भूमि छीनना चाहते है। प्रार्थी का दावा इन्द्राज दुरूस्ती का है व खातेदारी घोषणा का है जिसके लिये 80 सी पी सी का नोटिस नही दिया गया है इस कारण वाद खारिज होने योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मियाद बाहर है तथा खारिज होने योग्य है इस कारण यह प्रार्थनापत्र स्वतः ही मयाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है। प्रार्थीगण गलत तरीके से नाजायज तौर पर अप्रार्थीगण की भूमि लेना चाहते है। वादी प्रार्थी का प्राईमा केसी केस नही है न ही सुविधा संतुलन उसके पक्ष में है अगर स्थगन जारी हो गया तो प्रतिवादी को अपूर्णीय क्षति होगी। अप्रार्थी सुवानाथ जी का आराजी नं. 78 में मकान बना हुआ है। अप्रार्थीगण ने इस भूमि में कुआ भी खोद रखा है। अप्रार्थीगण का विगत 60 वर्ष से अधिक समय से इस भूमि पर कब्जा चला आ रहा तथा इस भूमि पर अप्रार्थीगण बिना किसी बाधा के काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा अपने उपयोग उपभोग में ले रहे है। प्रार्थनापत्र में वर्णित भूमि माधूनाथ गोकलनाथ के जीवनकाल से ही राजस्व रेकार्ड में अलग अलग दर्ज हो गयी। प्रार्थीगण अब दावा नही कर सकते है। माधूनाथ गोकलनाथ ने पूर्व में ऐतराज नही किया। सेटलमेन्ट के समय ये जिन्दा थें। वादीगण ने सजरे के अनुसार हरनाथ सभी वारिसों को पक्षकार नही बनाया इसलिए दावा मिस जोईन्डर पार्टी व नोन जोईन्डर पार्टी के अभाव में दावा खारीज फरमाया जावें। प्रार्थनापत्र में वर्णित भूमि 50 वर्षो से अधिक समय से अप्रार्थीगण के कब्जे में है। इसलिये अप्रार्थीगण का कब्जा मुखालफाना है तथा कब्जा मुखालफाने के आधार पर भी वादीगण प्रार्थीगण का वादपत्र एवं प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं. 9 की और से जवाब पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 11 प्रेम देवी ने शंकर नाथ से आराजी नं. 60 में शंकरनाथ का सम्पूर्ण हिस्सा दिनांक 06–12–2012 को खरीद किया तथा खरीदने के वाद से ही उत्तरदाता अप्रार्थी सं. 11 उत्तरदाता का कब्जा निरन्तर चला आ रहा है। अप्रार्थी सं. 11 बोनाफाइड परचेजर है। अप्रार्थीया उत्तरदाता अनु. जाति की गरीब महिला है। उक्त भूमि का कुछ हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग में आ जाने के कारण प्रार्थीगण के मन में लालच व दुर्भावना आ गयी है तथा गलत तथ्यों के साथ मनगढन्त तथ्यों पर आधारित प्रार्थनापत्र पेश किया है जो सव्यय खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी जनरल क्लास के व्यक्ति है तथा अप्रार्थी उत्तरदाता अनु. जाति की गरीब महिला होकर काश्तकार है जिस कारण प्रार्थीगण को प्रार्थनापत्र व वादपत्र पेश करने का हक व अधिकार नही है। अतः प्रार्थीगण का वाद सव्यय खारिज फरमाया जावे।

हमने वकील उभयपक्षों की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यो का दोहरान करते हुये बताया कि विवादित कृषि आराजीयात को वक्त सेटलमेंट,

सहायक कलक्टर
जहा...

सेटलमेंट अधिकारियो ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से देवीनाथ पिता छोटू नाथ के नाम दर्ज कर दी तथा देवीनाथ की मृत्यु के पश्चात विरासत से देवीनाथ के पुत्र गोरधन नाथ, शंकरनाथ, सुवा नाथ, के नाम दर्ज कर दी। तथा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित कृषि आराजीयात के कुछ हिस्से पर सथूर से गुलाबपुरा नेशनल हाईवे रोड (148 डी) निकल रहा है तथा उक्त कृषि आराजीयात मे जितना हिस्सा नेशनल हाईवे रोड में अवाप्त होता है उसका मुआवजा की राशि को वाद पत्र के निस्तारण तक अप्रार्थीगण संख्या 1 से 10 को भुगतान न करे। साथ ही विवादित कृषि आराजी नम्बर 60 (साठ) मे अप्रार्थी संख्या 9 ने अपने नाम गलत ढंग से आयी कृषि जमीन का अपना हिस्सा अप्रार्थी संख्या 11 को अवैध रूप से बेचान कर दिया जो शून्य एंव शून्य प्रभावी है। अप्रार्थी सं. 9 इस कारण कोई भी राहत पाने का अधिकारी नही है। वकील प्रार्थीगण ने यह भी बताया कि अप्रार्थीगण द्वारा दौराने सेटलमेंट कुछ भूमि प्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम आपसी सहमति से करना बताया है जो कि असत्य है। यदि दौराने सेंटलमेंट बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अप्रार्थीगण की कोई भूमि प्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज हुई है तो अप्रार्थीगण को काउन्टर क्लेम पेश करना चाहीये था। परन्तु उन्होने कोई काउन्टर क्लेम पेश नही किया है।

वकील अप्रार्थी सं. 1 से 7, 9, 10 ने बहस के दौरान बताया कि प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय से तथ्य छिपा कर वादपत्र व प्रार्थनापत्र पेश किया है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वज एक ही परिवार से हैं। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वजों के समय ही भूमि का बटवारा हो चुका था तथा बटवारे अनुसार काबिज है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के आपसी सामन्जस्य से भूमि एक दूसरे के दर्ज की गयी। नवीन आराजी नं. 63, 69, 90 मेंवाड सेटनमेन्ट के समय ही अप्रार्थी सं. 1 से 10 के पूर्वज जगन्नाथ पिता हरनाथ के नाम पर दर्ज थी जिसे वर्तमान सेटलमेन्ट के पूर्व श्रीनाथ माधूनाथ के नाम दर्ज किया गया। वर्तमान में प्रार्थीगण को दावा व प्रार्थनापत्र पेश करने का हक नही है क्योंकि पूर्वजों के समय से ही भूमि अलग अलग आपसी सहमति से दर्ज की गयी थी। प्रार्थनापत्र में वर्णित भूमि माधूनाथ गोकलनाथ के जीवनकाल से ही राजस्व रेकार्ड में अलग अलग दर्ज हो गयी। प्रार्थीगण अब दावा नही कर सकते है। माधूनाथ गोकलनाथ ने सेटलमेन्ट के समय जिन्दा होने के बावजुद तत्समय या उसके बाद कभी ऐतराज नही किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मियाद बाहर है तथा खारिज होने योग्य है। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र में वर्णित भूमि पर कभी कब्जा नही रहा है। न ही वर्तमान में इस भूमि पर कब्जा है। अप्रार्थी सुवानाथ जी का आराजी नं. 78 में मकान बना हुआ है। अप्रार्थीगण ने इस भूमि में कुआ भी खोद रखा है। इस भूमि पर अप्रार्थीगण बिना किसी बाधा के काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा अपने उपयोग उपभोग में ले रहे है। प्रार्थनापत्र में वर्णित भूमि 50 वर्षो से अधिक समय से अप्रार्थीगण के कब्जे में है। इसलिये अप्रार्थीगण का कब्जा मुखालफाना है तथा कब्जा मुखालफाने के आधार पर भी वादीगण प्रार्थीगण का वादपत्र एवं प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण ने षडयन्त्र पूर्वक वादपत्र व प्रार्थनापत्र पेश किया है जिससे वह नेशनल हाईवे मे अप्रार्थीगण की भूमि आ जाने से उसका मुआवजा उठा सके। साथ ही भूमि की कीमतें बढने से प्रार्थीगण के मन में लालच आ गया है । प्रार्थीगण ने केवल बनावटी व झूठे तथ्यों पर आधारित पेश किया है तथा अप्रार्थीगण भूमि छीनना चाहते है। वादी प्रार्थी का प्राईमा फेसी केस नही है न ही सुविधा संतुलन उसके पक्ष में है अगर स्थगन जारी हो गया तो प्रतिवादी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं. 9 के अधिवक्ता ने बहस में बताया कि अप्रार्थी सं. 11 प्रेम देवी ने शंकर नाथ से आराजी नं. 60 में शंकरनाथ का सम्पूर्ण हिस्सा दिनांक 06–12–2012 को खरीद किया तथा खरीदने के बाद से ही अप्रार्थी सं. 11 का कब्जा निरन्तर चला आ रहा है। अप्रार्थी सं. 11 बोनाफाइड परचेजर है। अप्रार्थीया उत्तरदाता अनु. जाति की गरीब महिला है। उक्त भूमि का

सहायक कलक्टर
जहा ... (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

कुछ हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग में आ जाने के कारण प्रार्थीगण के मन में लालच व दुर्भावना आ गयी है तथा गलत तथ्यों के साथ मनगढन्त तथ्यों पर आधारित प्रार्थनापत्र पेश किया है जो सव्यय खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण का वाद सव्यय खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का मुख्य तर्क यह है कि विवादित आराजी खसरा सं. 60 जिसके पुराने नम्बर 595 मिन व 596 थे एवं आराजी खसरा सं. 78 जिसके पुराने नम्बर 596 मिन थे, सेंटलमेट से पूर्व श्रीनाथ पिता काननाथ एवं मियालनाथ पिता नन्दा नाथ की खातेदारी में दर्ज थी। दौराने सेटलमेंट सेंटलमेंट अधिकारियों ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से उक्त आराजी में इन खातेदारों का नाम हटाकर देवीनाथ का नाम दर्ज कर दिया, जो कि सेंटलमेंट विभाग के सम्वत 2015–16 के दस्तावेज से स्पष्ट है। देवीनाथ की मृत्यु के बाद विरासत से उक्त आराजी को अप्रार्थी सं. 1 से 10 के नाम दर्ज कर दिया गया। इसलिये प्रार्थीगण के अनुसार उनके पक्ष में उक्त आराजी के संबध में स्वयंम को खातेदार घोषित कराने के संबध में प्रथम दृष्टया केस मौजुद है। अप्रार्थीगण के अनुसार आपसी सामंजस्य से प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा भूमि एक दूसरे के नाम करवाई गई थी। अप्रार्थीगण के अनुसार नवीन आराजी नं. 63, 69, 90 मेंवाड सेटनमेन्ट के समय ही अप्रार्थी सं. 1 से 10 के पूर्वज जगन्नाथ पिता हरनाथ के नाम पर दर्ज थी जिसे वर्तमान सेटलमेन्ट के पूर्व श्रीनाथ माधूनाथ के नाम दर्ज किया गया। परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा आपसी सामजंस्य/समझौते से भूमि एक दुसरे के नाम कराने के संबध में रेकार्ड पर कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नही कराया गया है। साथ ही अप्रार्थीगण द्वारा स्वंय की भूमि दौराने सेंटलमेंट प्रार्थीगण के पूर्वजो के नाम त्रुटिवश करने एवं उस त्रुटि को सुधार करने के लिये कोई भी काउन्टर क्लेम पेश नही किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु एक सद्भावी केस प्रस्तुत किया गया है, जिसका विचारण उपरांत निर्णय किया जायेगा। अतः मेरी विनम्र राय में प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस पाया गया है। यदि अप्रार्थीगण उक्त विवादित भूमि को विकय/खुर्दबुर्द कर देते है अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग में अवाप्त भूमि का मुआवजा प्राप्त कर लेते है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। जबकि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की स्थिति मे यथास्थिति बनी रहेगी, एवं अप्रार्थीगण को कोई विशेष असुविधा नहीं होगी। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण होकर सुविधा के सन्तुलन तथा अपूर्णीय क्षति का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में है, अतः न्यायालय प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अनुसार रिकार्ड में परिवर्तन न करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित समझता है। प्रार्थीगण के अनुसार विवादित आराजी पर उनका कब्जा निर्वाध रूप से चला आ रहा है प्ररन्तु अप्रार्थीगण के अनुसार विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण का कब्जाकारत है।

सहायक कलक्टर
जहा

Scanned with CamScanner

ऐसी स्थिति में अभी विवाद वाद में प्रार्थीगण के कब्जे के सम्बन्ध में कोई निषेधाज्ञा जारी करना न्यायोचित नहीं है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. ए. आंशिक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम शक्करगढ़ पटवार हल्का शक्करगढ़ तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा की खातेदारी सं. 60 कुल किता 1 रकबा 07.13 बीघा तथा आ.नं. 78 रकबा 3.02 बीघा में मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी सं. 1 से 11 के हिस्से तक की भूमि के राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन न करें। पक्षकारान खर्चा अपना-2 वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)